

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जिसकी अधिकारिता में जिला आता है, या उसका प्रतिनिधि जो उप संचालक की पद श्रेणी से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
4	अधीक्षण यंत्री, ओ. एण्ड एम. या जिले की संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का वरिष्ठतम अधिकारी जिसके अधीन वह जिला आता है	सदस्य
5	जिला अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग	सदस्य
6	जिला अधिकारी, श्रम विभाग	सदस्य
7	उपायुक्त/जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी	सदस्य
8	क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल (बोर्ड)	सदस्य
9	अग्रणी बैंक के अधिकारी	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/2/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

2A  
CGM(V), GOM(P)  
अंत 5/2/09  
सचिव  
(S-62)  
11-2-09

Government of Madhya Pradesh  
Commerce, Industry & Employment Department  
Mantralaya Vallabh Bhawan

NOTIFICATION


No. F.20-32/08/IB-XI

Bhopal, dated:- 11/2/09

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008), the State Government, hereby, constitutes the District Level Investment Promotion Empowered Committee consisting of the following persons, namely :-

- |                                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) District Collector                                                                                                                                                                | Chairman         |
| (2) Zonal Industries Officer                                                                                                                                                          | Vice- Chairman   |
| (3) Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam under whose jurisdiction, the district falls, or his representative who shall not below the rank of Deputy Director | Member           |
| (4) Superintending Engineer, O and M or Senior Most Officer of the District of the concerned Electricity Distribution Company under which the District falls                          | Member           |
| (5) District Officer Of Town and Country Planning Department                                                                                                                          | Member           |
| (6) District Officer of Labour Department                                                                                                                                             | Member           |
| (7) Deputy Commissioner/ Commercial Tax Officer of the District                                                                                                                       | Member           |
| (8) Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board                                                                                                                          | Member           |
| (9) Lead Bank Officer                                                                                                                                                                 | Member           |
| (10) General Manager, District Trade and Industry Centre                                                                                                                              | Member Secretary |

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,

  
( M. S. SOLANKI )  
DEPUTY SECRETARY  
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
COMMERCE, INDUSTRY & EMPLOYMENT  
DEPARTMENT

पृ०क० एफ 20-32/08/वी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

प्रतिलिपि :-

- 1) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 200 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम/आवास एवं पर्यावरण/वाणिज्यिक कर/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3) अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर/पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
- 4) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 5) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
- 8) संभागीय आयुक्त भोपाल/होशंगाबाद /इन्दौर/उज्जैन /ग्वालियर/चम्बल(मुरैना) /रीवा/शहडोल/जबलपुर/सागर मध्यप्रदेश ।
- 9) संचालक, संस्थागत वित्त, विध्याचल-भवन, भोपाल ।
- 10) संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल
- 11) कलेक्टर, ..... मध्यप्रदेश ।
- 12) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..... मध्यप्रदेश ।
- 13) परिक्षेत्रीय अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ..... मध्यप्रदेश ।
- 14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि०, इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन, (म०प०) ।

4m(p)

Ms.
Facility
NO.
Expiry
Inward No. ....
Inward No. 2982

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जिले में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रुपये 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) तक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है; जिन पर, जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पू0क0 एफ 20-32/08/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

प्रतिलिपि -

- 1) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 200 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम/आवास एवं पर्यावरण/वाणिज्यिक कर/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3) अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर/पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
- 4) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 5) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
- 8) सभागीय आयुक्त भोपाल/होशंगाबाद /इन्दौर/उज्जैन /ग्वालियर/चम्बल(मुरैना) /रीवा/शहडोल/जबलपुर/सागर मध्यप्रदेश ।
- 9) संचालक, संस्थागत वित्त, विध्याचल-भवन, भोपाल ।
- 10) संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल
- 11) कलेक्टर, ..... मध्यप्रदेश ।
- 12) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ..... मध्यप्रदेश ।
- 13) परिक्षेत्रीय अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ..... मध्यप्रदेश ।
- 14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि0, इंदौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन, (म0प0) ।

M.P. Trade & Investment  
Facilitation Corporation Ltd.  
29 JUL 2009  
Inward No. 1194

(एम.एस.सोलंकी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

30.7/09  
L-ED (B)  
(Gm/V)

8A  
CGM(V)/Gm(P)/JIPK  
S-42L  
30.7-09